2023/103

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — बनाम — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री शम्मी कुमार पुत्र श्री ढालूराम, खत्री
निवासी ए / 404 मईशा रेजीडेन्सी,
समा–सावली रोड, अम्बे स्कूल के पास वेमाली
बडोदरा।

सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी आबूरोड

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** — मुकदमा नं. 12 वर्ष 2023

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
22.06.2023	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूरोड को दिनांक 31.10.2022, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा जनसुनवाई कैम्प पंचायत समिति आबूरोड प्रदूषण रोकने का आग्रह किया गया था, उस पर क्या कार्यवाही हुई एवं उपखण्ड कार्यालय आबूरोड में दिनांक 24.06.2022 को अम्बाजी आई / ए प्लॉट नं. जी–1–182 व 183 पर अवैध रूप से हानिकारण केमिकल का संग्रह पर प्रदूषण पर सीआरपीसी के तहत कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया था, उस पर की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूरोड को दिनांक 31.10.2022, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा जनसुनवाई कैम्प पंचायत समिति आबूरोड प्रदूषण रोकने का आग्रह किया गया था, उस पर क्या कार्यवाही हुई एवं उपखण्ड कार्यालय आबूरोड में दिनांक 24.06.2022 को अम्बाजी आई / ए प्लॉट नं. जी–1–182 व 183 पर अवैध रूप से हानिकारण केमिकल का संग्रह पर प्रदूषण पर सीआरपीसी के तहत कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया था, उस पर की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूरोड को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई [illegible] उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पे[illegible] पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सरे इज[illegible] होकर नंबर से कम हो। (डॉ. भॅवर लाल) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:35:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner